

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठारीन अधिकारी – अग्निधेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 47 / 2025
जी.सी.एम.एस नं. : 2025 / 53

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
श्री उम्मेद मल टेलर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री धर्मेन्द्र जोशी पुत्र श्री जसवन्त जोशी
निवासी भवनपुरा, खांदु कोलोनी, बांसवाड़ा
(विक्रेता/ मालिक) मैसर्स रॉयल
इन्टरप्राइजेज, एच-आई-191, इण्डस्ट्रीयल
एरिया ठीकरीया नाका, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 26-08-2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 24-07-2025 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 22-04-2025 को 2.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स रॉयल इन्टरप्राइजेज, एच-आई-191, इण्डस्ट्रीयल एरिया ठीकरीया नाका, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री धर्मेन्द्र जोशी पुत्र श्री जसवन्त जोशी उपस्थित थे। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स रॉयल इन्टरप्राइजेज, एच-आई-191, इण्डस्ट्रीयल एरिया ठीकरीया नाका, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर परिसर में Carbonated water orange (RIZZ) 400 पैकेट प्लास्टिक जार, प्रत्येक जार में 250 एम.एल रखा पाया। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने के शक पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए Carbonated water orange (RIZZ) जार खोलकर 48 बोतल 250 एम.एल वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 240/- रु. विक्रेता को चुका कर रशीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा पेय पदार्थ Carbonated water orange (RIZZ) 48 बोतल प्रत्येक में 250 एम.एल के 4 के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक 109 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमावली

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)



चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना गय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग गय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/271 दिनांक 04-06-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 514 दिनांक 28-04-2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Corbonated water orange (RIZZ)** का नमूना कोड क्रमांक **W-2109** (Contravence the regulation 7 (1) Schedule -II as per FSS (Labelling and Disply) Rgulation 2020) पाया गया। विक्रेता द्वारा पेय पदार्थ **Corbonated water orange (RIZZ)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 25-07-2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

26-08-2025 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाकर न्यूनतम अर्थ दण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/271 दिनांक 04-06-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 514 दिनांक 28-04-2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Corbonated water orange (RIZZ)** का नमूना कोड क्रमांक **W-2109** (Contravence the regulation 7 (1) Schedule

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बॉसवाडा (राज.)



-II as per FSS (Labelling and Disply) Rgulation 2020) के तहत अमानक पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अमानक (Contravence the regulation 7 (1) Schedule -II as per FSS (Labelling and Disply) Rgulation 2020) पाया गया पेय पदार्थ **Corbonated water orange (RIZZ)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री धर्मेन्द्र जोशी पुत्र श्री जसवन्त जोशी निवासी भवनपुरा, खांदु कोलोनी, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स रॉयल इन्टरप्राइजेज, एच-आई-191, इण्डस्ट्रीयल एरिया ठीकरीया नाका, बांसवाडा को 5000/- (अक्षरे रू पाँच हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 26-08-2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निष्पन्न अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
(अति. जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)